राजस्थान–सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाराँ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01/2023

बउनवान

छीतर पुत्र रघुनाथ जाति मीणा निवासी चांचोडा तहसील छबड़ा

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबड़ा जिला बाराँ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (अपीलांट)

2– पेरोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 15.02.2023

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1340/2022 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 06.01.2023 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम शंकरकालोनी की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 मे खसरा नम्बर 804 की रकबा 1 बीघा भूमि पर फसल पडत बोकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 50/– रूपये तावान राशि से दण्डित किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 08.02.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए अपीलांट को 90 दिन की सिलिस कारावास की सजा सुनाई जाने मे भूल की है। उक्त निर्णय की पालना मे अपीलांट को दिनांक 03.02.2023 से 30 दिवस के लिये सब जेल छबडा मे भिजवा दिया गया है। अपीलांट 68 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी सही अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.01.2023 निरस्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट का सरकारी भूमि वाके ग्राम शंकरकालोनी किस्म चारागाह खसरा नम्बर 804 की रकबा 1 बीघा भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया गया है। किन्तु उक्त निर्णय मे एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे विवादित आराजी पडत होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित/अनुपस्थित रहना बताया गया है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी इसी आराजी पर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण किया गया था जिसको अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 1847/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 से तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की वृद्वावस्था 68 वर्ष को देखते हुये अपीलांट द्वारा अब तक भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई थी। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा में उपस्थित या अनुपस्थित रहा है। यह स्पष्ट अंकित नही किया गया है। उक्त विवादित आराजी भी निर्णय ओर पटवारी रिपोर्ट मे पडत होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है और अपीलार्थी को पटवारी के बयानो में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 1340/2022 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा मे से दिनांक 03.02.2023 से अब तक अपीलांट द्वारा भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि अपीलांट विवादित आराजी वाके ग्राम शंकरकालोनी की खसरा नम्बर 804 की रकबा 1 बीघा भूमि से स्वयं का किसी भी प्रकार का कब्जा हटाकर तहसीलदार, छबड़ा के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि मेरे द्वारा उक्त विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया गया है, वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कब्जा नहीं है एवं भविष्य में भी उक्त राजकीय भूमियों पर कब्जा नहीं करूंगा, तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 1340/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 से दी गयी सिविल कारावास की सजा मे से दिनांक 03.02.2023 से अब तक अपीलांट द्वारा भुगती गई सजा को छोडकर शेष सजामाफ की जाती है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.2023 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **15.02.2023** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested